



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/स्थाना/पदस्थापन/17/2709 जयपुर, दिनांक 20/11/17

आदेश

श्री देवीसिंह लोधा, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग(शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री लोधा विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग (मुख्यालय) पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—sd—
(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त भरतपुर।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलेक्टर भरतपुर।
11. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर।
13. श्री देवी सिंह लोधा, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)